# कार्यपालक सहायक का नियोजन पत्र का नमूना
# कार्यालय का नाम

---

**–: आदेश :–**

मिशन निदशक–सह–प्रधान सचिव, बिहार प्रशासनिक सुधार सोसायटी, बिहार, पटना की पत्रांक 910 दिनांक 02.07.2018 से प्राप्त निदेशानुसार नवादा जिला में कार्यपालक सहायक के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण की प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में दिनांक 10.01.2019 को प्रकाशित पैनल में से जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्राक 83/स्था० दिनांक 07.02.2019 से उपलब्ध कराये गये निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर अधोलिखित शर्तों के अधीन कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजित किया जाता है।

| क्र० सं० | Application ID No. | नाम | पिता का नाम | पता | कोटि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXA/237023362 | BHAWNA PRIYA | SANJAY LAL | MO- CHIRAIYA TARD, POSTAL PARK, KANKARBAGH, PATNA PIN- 800001 | URF |

नियम एवं शर्ते :–

1. यह चयन प्रथम एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
2. योगदान के समय निम्न हार्डवेयर अनिवार्य रूप से लाना होगा, जिसका उपयोग उन्हें नियोजन कार्यालय में करना पड़ेगा।

| | | |
|---|---|---|
| A | CPU | Intel Core 3 |
| | Chipset | Intel |
| | Memory | 4 GB (minimum) |
| | Hard Disk | 500 GB |
| | Monitor | 14'- LED (or higher) |
| | Operating System | Windows 7 (or higher) |
| | Additional Software | Microsoft office 2010<br>Adobe PDF Reader<br>Internet Security (Antivirus) of any Renowned Company |
| | Browser | Google Chrome |
| | Additional Hardware | Optical Mouse<br>Optical Keyboard |
| B | One Laser Printer | Black & White |
| C | One UPS | - |
| D | One Data Card for internet | 1 Mbps (minimum) |

3. योगदान के समय अपना सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं एक फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।

4. नियोजित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह बिहार प्रशासनिक सुधार सोसायटी के द्वारा अनुमान्य मानदेय दी जायेगी। कम्पयूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नही होगी। इसमें लगनेवाली Consumable items पेपर टोनर आदि की आपूर्ति पदस्थापन कार्यालय द्वारा की जायेगी। इन्टरनेट कनेक्शन का बिल नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा।

5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्य में सुधार करने हेतु एक सप्ताह का नोटिस दिया जायेगा। कार्य में अपेक्षित सुधार नही होने पर नियोजन रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

6. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित आकस्मिक देय होगा।

7. नियोजित अभ्यर्थियों का सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नही होगा। इस आशय का एकरारनामा नियोजन के समय प्रस्तुत करना होगा

8. यदि संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व इनका अवधि विस्तार नही होता है तो उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

9. चयनित अभ्यर्थी नवादा जिला के बेबसाईट पर नियोजन पत्र प्रकाशन को **15 (पन्द्रह)** दिनों के अन्दर एकरारनामा के साथ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० कार्यालय (नियोजन कार्यालय) में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नही करने पार उनका नियोजन पत्र रद्द समझा जायेगा।

10. सिविल सर्जन, नवादा क द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय समर्पित करना होगा।

EO

(जिला अंकेक्षण पदाधिकारी)
स०स० नवादा

ज्ञापांक :– 26 / दिनांक :– 08.02.2019.

प्रतिलिपि :–
1. संबंधित अभ्यर्थि को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त नियोजन पत्र जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।
3. जिला पदाधिकारी, नवादा की सेवा में सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त निबंधक, स०स० मगध प्रमण्डल, गया।
5. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
6. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना।

8.2.19

For(जिला अंकेक्षण पदाधिकारी)
स०स० नवादा